



GLOBAL CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

109/419-A, Asha Palace 2nd Floor, 80 Feet road, Kanpur-208012

(Registered under the Cooperative Societies Act 1965)

For Office Use

Date: Account No.: Amount:
Term: Maturity:

Sign Across
Photographs

To
GLOBAL CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED
109/419A, 2nd Floor, 80 Feet Road, Astha Place,
Kanpur

SUBJECT : APPLICATION FOR DAILY DEPOSIT

Dear Sir,

I want to Open Daily Deposit Account under "The Daily Deposit Yojna" in your Society. I have read all rules about account opening. I agree with the rules and accepted any modification's of rules of the Society.

Name in Full :

Date of Birth :

Father's/ Husband's Name :

Tel/ Mobile No. :

Address in Full :

Name of Nominee :

DoB of Nominee :

Father's Name of Nominee :

Relation with Nominee :

Yours Faithfully,

Specimen Signature / Thumb
Impression

Introducer's Signature

Society Officer Signatory

Print

दैनिक आवर्ती जमा योजना के उपनियम

- 1- "दैनिक आवर्ती जमा योजना" जमा धन प्रारम्भिक जमा तिथि के 12 माह पूर्ण होने पर खाता धारक की अन्तिम जमा तिथि के 30 दिन के बाद ब्याज सहित भुगतान देय होगा।
- 2- सोसाइटी द्वारा अनुमोदित कोई भी व्यक्ति जिसे खाते की शर्त मान्य हो सोसाइटी में दैनिक आवर्ती जमा योजना के अन्तर्गत खाता खोल सकता है।
- 3- **दैनिक आवर्ती जमा योजना –**
 - (क) किसी भी व्यस्क व्यक्ति के द्वारा अपने नाम से खाता खोला जा सकता है।
 - (ख) एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त नामों से खाता खोला जा सकता है। जिसमें सुविधा रहेगी कि अवधि पूर्णता पर उनमें से कोई एक अपना उत्तरजीवी व्यक्ति जमा की गई राशि निकाल सकता है।
 - (ग) किसी नाबालिग के नाम से खाता उसके वास्तावकि अभीभावक अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त अभीभावक द्वारा खोला जा सकता है। ऐसी स्थिति में खाता खोलते समय नाबालिग की जन्मतिथि से सम्बन्धित एक धोषणा पत्र अभीभावक को जमा करना होगा और नाबालिग के बालिक हो जाने पर अर्थात् 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अभीभावक द्वारा खातों के संचालन का अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा व तत्पश्चात् तत्काल खाता स्वामित्व व संचालन अधिकार उस बालिग की अपनी समपत्ति समझी जायेगी।
 - (घ) किसी निरक्षर व्यक्ति का खाता उसके अंगूठे के निशान तथा फोटो को विधिवत सत्यापित कर खाता खोला जा सकता है।
- 4- इस जमा योजना के अन्तर्गत खाता धारक का प्रतिदिन 50/या 50/के गुणांक में माह में 25 दिन धन जमा करना होगा।
- 5- इस जमा योजना के अन्तर्गत समय पूर्व कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सोसाइटी द्वारा खाते के 3 माह पूर्ण होने के उपरान्त जमा धन का 85 प्रतिशत तक रकम सोसाइटी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार दिया जा सकता है। वह सुविधा खाता पूर्ण होने से पूर्व सिर्फ एक बार दी जायेगी।
- 6- इस जमा योजना के अन्तर्गत खाता धारक द्वारा किसी किस्त का बकाया 30 दिन के अन्दर समायोजित न करने पर खाता धारक को ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 7- प्रत्येक खातेदार जमाकर्ता से अपेक्षा है कि सोसाइटी की "दैनिक आवर्ती जमा योजना"के उपनियम जो उक्तांकित इस समय लागू है समझ लिये है और स्वीकार है। सोसाइटी अधिकृत रहेगा कि उक्त वर्तमान नियमों में जो भी परिवर्तन या परिवर्धन समय-समय पर निर्णय लेकर लागू किया जाये, प्रत्येक खातेदार जमाकर्ता को मान्य होंगे।

दिनांक-

हस्ताक्षर आवेदक

